

विश्वभारती

कार्यालय आदेश

विश्वभारती में नवनियुक्त निदेशक, अध्ययन, शैक्षिक नवाचार एवं ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्यभार ग्रहण करने के परिणामस्वरूप, अधोहस्ताक्षरी को कहने का निदेश हुआ है कि उपाचार्य महोदय ने विश्वभारती अधिनियम एवं संविधि के अनुसार उन्हें निम्नलिखित अधिकार और कार्य सौंपे हैं, जिनका वे निर्वहन करेंगे।

1. अध्ययन, शैक्षिक नवाचार और ग्रामीण पुनर्निर्माण के निदेशक के पास ऐसे अधिकार होंगे एवं वह अपने क्षेत्र में ऐसे कार्य करेंगे जैसा कि शिक्षा-समिति (शैक्षणिक परिषद) और उपाचार्य (कुलपति) द्वारा निर्धारित या उन्हें प्रत्यायोजित किया जा सकता है।
2. अध्ययन, शैक्षिक नवाचार और ग्रामीण पुनर्निर्माण के निदेशक, विनय भवन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते रहेंगे।
3. अध्ययन, शैक्षिक नवाचार और ग्रामीण पुनर्निर्माण के निदेशक, श्रीनिकेतन के निदेशक के रूप में भी कार्य करेंगे तथा तदनुसार पल्ली शिक्षा भवन एवं पल्ली संगठन विभाग के कार्य सहित श्रीनिकेतन की सभी गतिविधियों को समेकित और समन्वय करने हेतु जिम्मेदार भी होंगे।
4. अध्ययन, शैक्षिक नवाचार और ग्रामीण पुनर्निर्माण के निदेशक ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्यक्रमों के आयोजन हेतु उत्तरदायी होंगे और अगले आदेश तक आजीवन शिक्षा और विस्तार (आर ई सी) विभाग के प्रमुख के रूप में भी कार्य करते रहेंगे।

ज्ञापन सं. स्था/ई-III/ओ.2

दिनांक: 17/09/2025

हस्ता/-
कुलसचिव (कार्यकारी)
विश्वभारती

सेवा में,

- 1) निदेशक, , अध्ययन, शैक्षिक नवाचार एवं ग्रामीण पुनर्निर्माण, विश्वभारती

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि अग्रेषित:-

1. सभी निदेशक/प्रिंसिपल
2. सभी शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक विभाग/अनुभाग के प्रधान
3. वित्त अधिकारी
4. पुस्तकाध्यक्ष
5. सभी संयुक्त कुलसचिव/उप कुलसचिव/आई.ए.ओ./सहायक कुलसचिव
6. विश्वविद्यालय अभियंता
7. उप कुलसचिव (स्थापना)
8. प्रभारी, सुरक्षा
9. संयुक्त कुलसचिव (लेखा)
10. कुलपति के गोपनीय सचिव
11. कुलसचिव के निजी सहायक
12. प्रभारी, राजभाषा प्रकोष्ठ – हिंदी में अनुवाद कर विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।
13. फाइल
14. विश्वविद्यालय वेब मास्टर - विश्वविद्यालय वेब साइट पर अपलोड हेतु।